हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 108

बुधवार, 01 अप्रैल, 2026/11 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"इससे पहले कि मैं प्रश्न काल आरंभ करूं, मुझे यानी विधान सभा सचिवालय को नियम-67 के अंतर्गत 9:30 बजे पूर्वाह्न माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी की ओर से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जोकि इस प्रकार है- "कि सरकार द्वारा पिछले कल शाम को पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर में जिला उपायुक्त को 5 परसेंट परिवर्तन करने का प्रावधान" से संबंधित है। वैसे तो I don't think that this Rule-67 अभी at this stage applicable होगा और वैसे भी आप सभी को याद होगा कि हमने धर्मशाला में नियम-67 पर एक निर्णय लिया था जिसमें मैंने एक रूलिंग देते हुए कहा था कि नियम-67 का जो स्थगन प्रस्ताव है वह अगर एडमिट होता है तो उसी दिन प्रश्न काल के बाद उसे चर्चा में लाया जा सकता है, If admitted और उसी दिन उस पर चर्चा होगी और खत्म भी होगा यानी इस पर चर्चा दो या तीन दिन तक लगातार नहीं चलेगी।

This I have ruled on 27th November, 2025 at Dharamshala. In view of this and so far this Adjournment Motion is concerned. I think this issue can be discussed under other Rules. You can give a notice under Rule-62 or Rule-130 and we will certainly give you a chance to discuss this issue. But I don't think there is any necessity or the requirement as per our Rules that the same has to be discussed just now before the Question Hour. So, I will be allowing you after the Question Hour to raise this issue and thereafter we decide, whether it is to be admitted or not to be admitted, whether it is to be discussed today or afterwards. So, after the Question Hour I will be permitting this issue."

माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई उपरोक्त व्यवस्था के उपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि यह स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर चर्चा अलाऊ की जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष द्वारा दिया गया है उस पर सारी बात स्पष्ट कर दी गई है। इस नोटिस को अभी न ही एडमिट किया गया है और न ही रिजैक्ट किया गया है। अतः इस प्रस्ताव पर प्रश्नकाल के उपरान्त निर्णय दिया जाएगा कि क्या वास्तव में ही इस पर चर्चा करवानी अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए अभी इसे फिलहाल एक घण्टे तक पैंडिंग रखा जा रहा है।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर आपस में नोकझोंक करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यों के मंतव्य को समझते हुए कहा-

"प्रश्नकाल के बाद इस इश्यू को आज ही टेक-अप करेंगे। नियम-67 का मतलब है कि आज का सारा बिजनैस एडजोर्न कर दिया जाए परंतु मैं महसूस करता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस इश्यू को आप दोपहर 12.00 बजे रेज कर सकते हैं और मैं सुनूंगा। Thereafter, whether it is to be admitted or not to be admitted, I will decide that at 12 O'clock. अभी मुझे प्रश्नकाल प्रारंभ करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आपके इश्यू के

बारे में मैंने स्वयं बोल दिया है कि I have received a notice under Rule-67 जोकि माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने दिया है। इसमें मेरी यह रूलिंग है कि अभी मैं इसको at this stage चर्चा में नहीं ला रहा हूं। 12.00 बजे I will give the opportunity to both the sides. I will be allowing Hon'ble Member, Shri Randhir Sharma Ji लेकिन यहां से मुख्य मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान) Obviously, when the Leader of the House wants to intervene or speaks than the Rules says that he has a precedence to speak."

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

Let him speak first. ...(Interruption) There is no opportunity to create it. When you will create such kind of rukus, obviously the situation will aggravate as such. ...(Interruption) I am adjourning the House till 11.30 am. Thank you."

(11.10 बजे पूर्वाह्न सदन की बैठक 11.30 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।)

(11.30 बजे पूर्वाह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

बैठक के पुनः आरंभ होने पर **माननीय अध्यक्ष महोदय** ने **माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा** को अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान की गई।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस वर्ष होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लगातार टालने का प्रयास कर रही है जबकि हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव दिसम्बर-2025 के अंत में या जनवरी-2026 के शुरू में होने निर्धारित थे लेकिन डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाले गए। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने दिनांक 30.03.2026 की अधिसूचना के तहत किए गए संशोधित प्रावधान के अनुरूप उपायुक्त को यह अधिकार देने कि वह भौगोलिक एवं अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी ग्राम पंचायत या संबंधित

पद के कुल स्थानों के 5 प्रतिशत तक रोस्टर में परिवर्तन कर सकता है, पर भी आपत्ति व्यक्त की।

माननीय राजस्व मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विपक्ष ने एक बात स्वयं मानी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मई माह तक चुनाव करवा दीजिए तो सरकार ने इस बात को कब मना किया है कि सरकार उसके बाद चुनाव करवाएगी। उन्होंने कहा कि हमें वर्ष 2011 की जनगणना से जस्टिस नहीं मिलने वाला है तो हमें वर्तमान जनगणना का इंतजार करना पड़ेगा लेकिन लेटैस्ट जनगणना का कार्य वर्ष 2027 के बाद पूर्ण होगा और फिर हमें पंचायती राज चुनावों को डेफर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो 5 प्रतिशत रिजर्वेशन रखी गई है यह इसलिए है क्योंकि कई जगह किसी कारणवश रिजर्वेशन ही नहीं हुई है अतः हमने बीच में एक विंडो रखी है ताकि सबके साथ जस्टिस हो सके।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी जिस पर माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को केवल विषय तक ही अपनी बात सीमित रखने को कहते हुए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वैसे तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने जस्टिफाई किया है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि Reservation Roaster under the Constitution provisions में एक मेंडेट है और यदि यह करना है तो इसमें रूल्स की यह रिक्वायरमेंट है। राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जनगणना नहीं हुई है। लेटेस्ट जनगणना की जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक विंडो उपायुक्त महोदय को दी गई है कि जहां कहीं कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन आए कि कहीं proportion of the population reserve category का इंक्रीज हुआ है तो उस परिस्थिति में Deputy Commissioner will use his discretion in 5 per cent, that may be in only 2-3 Panchayats.

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की मूल इकाई हमारे पंचायती राज संस्थान हैं और अगर हम लोकतंत्र के प्रति थोड़ा भी सम्मान का भाव रखते हैं तो ऐसी चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243 (D) का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर होगी। इसके अतिरिक्त किसी को कोई discretion नहीं दी गई थी।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि आपने जो बात रखी और श्री रणधीर शर्मा जी ने भी जो प्रोविजन रेफर किए हैं, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह प्वाइंट उठाया है कि हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं और जो आज नई जनगणना शुरू हो रही है उसके लेटेस्ट आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसके ऊपर संविधान के प्रोविजन साइलेंट है कि आपने लेटेस्ट सेंसस के आंकड़े लेने हैं या पूर्व के लेने हैं। यह रोस्टर तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आएगा लेकिन वर्ष 2026 की जनगणना अभी अवेटिड है। तब उस परिपेक्ष में माननीय राजस्व मंत्री जी का जो प्वाइंट है उसमें वजन है क्योंकि विंडो जो है; एक डिप्टी कमिश्नर को 5 प्रतिशत की पावर दी गई है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं कि यह जो लेटेस्ट सेंसेज है इसको ना देखा जाए?

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2011 की हमारे पास जो सेंसेज हैं उसके आधार पर कार्य होना चाहिए। उन्होंने डी0सी0 को 5 प्रतिशत की डिस्क्रिशन देने का विरोध व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि नियम-67 के तहत तुरन्त चर्चा करवाई जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा जिस काम के लिए नियम-67 का प्रस्ताव लाया गया है ये लोग उस पर बात न करके राजनीतिक भाषण ज्यादा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहां 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव होंगे लेकिन इसमें अगर कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो वह अलग बात है लेकिन यहां 31 मई से पहले चुनाव हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने स्वयं एफिडेविट दिया है कि हम 31 मई से पहले इलैक्शन करवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी पंचायत में ओ0बी0सी0 उम्मीदवार के लिए कोई सीट रिजर्व होती है और वहां ओ0बी0सी0 की पोपुलेशन न हो तो हम वहां किससे चुनाव लड़ाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने डी0सी0 को 5 प्रतिशत तक डिस्क्रिशन का प्रावधान किया है।

माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा अपने स्थान पर खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से अपनी बात रखने की अनुमति मांगने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि when Speaker speaks everybody is supposed to listen, when Speaker stand everybody is supposed to sit. But when Speaker

speaks even then there is an interruption. I should not say but I am forced to say this.

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"ऐसा है, नियम-67 के अंतर्गत बहुत ही गम्भीरता से यहां पर माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तथ्य रखे और सत्ता पक्ष से माननीय राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी व माननीय मुख्य मंत्री ने भी अपने विचार रखे हैं। मैं यह महसूस करता हूं; एक तो मैंने जो रूलिंग नवम्बर-2025 में दी थी कि नियम-67 के मोशन को हम आगे से प्रश्न काल के बाद लेंगे, मैं उसको रिव्यू कर रहा हूं। Now the Motion under Rule-67 will be discussed at the initial stage before starting the Question Hour, I am reviewing my old Ruling. Now, today on the issue under Rule-67, after hearing both the sides very carefully, I am of the view that the explanations which have been given by the Hon'ble Revenue Minister and the Hon'ble Chief Minister has a weight. Therefore, this discretion to the Deputy Commissioner which is to be applied in a rational manner within the 5 per cent range is in the larger interest of the Panchayati Raj System and in the larger interest of the reservation roster. Therefore, I am hereby rejecting the Motion under Rule-67."

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम-67 के प्रस्ताव को निरस्त करने के विरोध में शोरगुल करने लगे।)

1. प्रश्नोत्तर

दिन के लिए निर्धारित तारांकित/अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।

(दिन के लिए निर्धारित शून्य काल से संबंधित विषय दिनांक 02 अप्रैल के लिए स्थगित किए गए।)

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटिड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860, XVI के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, माननीय उद्योग मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य** का विषय उनकी सदन में अनुपस्थिति के कारण नहीं उठाया गया।

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक** ने **"जिला कांगड़ा में एक मात्र Automatic Testing Center होने से जिला के निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति"** बारे उप मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को वापिस लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) वापिस हुआ।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री राजेश धर्माणी, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री विक्रमादित्य सिंह, माननीय लोक मन्त्री निर्माण** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6)"पारित हुआ।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री जीत राम कटवाल, माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण विषय नहीं उठाया गया।

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

श्री बिक्रम सिंह तथा **श्री सतपाल सिंह सत्ती, माननीय सदस्यों** के विषय उनकी सदन में अनुपस्थिति के कारण नहीं उठाए गए।

12.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 02 अप्रैल, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।